[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 08/2022-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सा. का. नि. .... (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 104/2010-सीमाशुल्क, तारीख 1 अक्टूबर, 2010 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 805(अ) तारीख 1 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रकाशित है ।	उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, "सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से" शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर "और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कृषि अवसंरचना और विकास उपकर से" शब्द, कोष्टक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
2.	अधिसूचना सं. 38/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 290(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित है ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ 3 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- "सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अधीन उद्ग्रहणीय कृषि अवसंरचना और विकास

		उपकर, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के अधीन उद्ग्रहणीय स्वास्थ्य उपकर, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 के अधीन उद्ग्रहणीय सड़क और अवसंरचना उपकर तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 की क्रमशः उपधारा (7) और उपधारा (9) के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर और माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर" ।
3.	अधिसूचना सं. 40/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 775(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित है ।	उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, "उसपर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है" शब्दों के पश्चात्, "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपकर, और वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सड़क और अवसंरचना उपकर" शब्द, अंक और कोष्टक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
4.	अधिसूचना सं. 60/2011-सीमाशुल्क, तारीख 14 जुलाई, 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 536(अ) तारीख 14 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित है ।	उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, "सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से" शब्दों, अंकों और कोष्टकों के स्थान पर "और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कृषि अवसंरचना और विकास उपकर से" शब्द, अंक और कोष्टक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
5.	अधिसूचना सं. 148/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 577(अ) तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित है ।	उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, "उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से" शब्दों के पश्चात् "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सड़क और अवसंरचना उपकर" शब्द, अंक और कोष्टक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार